न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर

उनवान – सरकार बनाम विकास जांगिड़

मुकदमा न. 51/16/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

06.02.2017	पत्रावली पेश हुई खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी विकास जांगिड़ पुत्र घड़सीराम जांगिड़ मैसर्स– राज नेचुरल फुड कम्पनी अलखपुरा गोदारान रोड़ दीनवा जाटान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर उपस्थित। बहस सुनी गई एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी नम्बर एफ–581 वस्तु पनीर का नमूना लिया गया । राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण मिस बॉन्ड/अमानक का पाया गया है। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया परन्तु अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर बताते हुये कम से कम जुर्माना लगाने का अनुरोध किया परन्तु में निर्माता कम्पनी स्वयं पार्टी है। कम्पनी के कारोबार को मध्य नजर रखते हुये खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थी विकास जांगिड़ के 5000/– रुपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये वरना अप्रार्थी के विरुद्ध इस अधिनियम के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो निर्णय सुनाया गया ।